न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती रीना छीम्पा, R.A.S.
Camp - 27 G G

वादपत्र संख्या 92 / 2012
अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

1. बागासिंह आत्मज श्री सौदागरसिंह, रायसिख, चक 3 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. प्रीतमसिंह आत्मज श्री दयालसिंह, रायसिख, पक्की तहसील व जिला श्रीगंगानगर.

...वादीगण

बनाम

1. दीवानसिंह आत्मज श्री कर्मसिंह, रायसिख, पक्की तहसील व जिला श्रीगंगानगर.
   1.1. श्रीमती प्यारोबाई धर्मपत्नी स्व. श्री दीवानसिंह,
   1.2. श्रीमती नानकी,
   1.3. श्रीमती राजरानी,
   1.4. वजीरसिंह,
   1.5. श्रीमती लालीबाई आत्मजन स्व. श्री दीवानसिंह, रायसिख, चक 3 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर.
2. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.

..प्रतिवादीगण

उपस्थित–	श्री ओमप्रकाश बत्तरा	(वादी)
	श्री सुशील बिश्नोई	(प्रतिवादी–1.से1.5)
	पैरोकार राज	(प्रतिवादी–2)

दिनांक 22 जून, 2018

– निर्णय –

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 3 बी. बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 7 में 12.10 बीघा कृषि भूमि पुर्नवास विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को आवंटित है. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपनी उक्त कृषि भूमि में से 2.10 बीघा कृषि भूमि को विकय करने का प्रस्ताव वादीगण के समक्ष रखा क्योंकि वादीगण काश्तकार व्यवसायी हैं जिन्हें अपने तथा अपने परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार कृषि भूमि क्रय करने की आवश्यकता थी, इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्ताव स्वीकार कर चक 3 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 21से 25 प्रत्येक में 0.10 बीघा कुल 2.10 बीघा (जिसे निर्णय के शेष भाग में प्रश्नगत कृषि भूमि से सम्बोधित किया जा रहा है) राशि 10,000 रूपये में क्रय करने का सौदा कर अग्रिम राशि प्राप्त करने के बाद शेष 1,900 रूपये प्राप्त कर पंजीबद्व विकय विलेख दिनांक 31 जनवरी, 1974 को वादीगण के पक्ष में निष्पादित कर दिया गया. क्रय

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

तिथि से ही कयाधीन 2.10 बीघा कृषि भूमि का कब्जा वादीगण का शान्तिपूवर्क चला आ रहा है. इस प्रकार वादी बाबदल केता एवं अधिकारी है.किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 बदनीयती के परिणामताः कृषि भूमि के मुल्यों में वृद्वि होने के कारण बिक्रीत कृषि भूमि को अन्यत्र विक्रय करने में प्रयासरत है यदि प्रतिवादी गलत अभिलेख के आधार पर अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है तो वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी, वहीं वादीगण कयाधीन कृषि भूमि पर अपने अधिकारों से वंचित हो जायेंगे. इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 उक्त बिक्रीत कृषि भूमि को अन्यत्र विक्रय करने का अधिकारी नहीं है. राजस्व अभिलेखों में प्रश्नगत कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज है तथा वादीगण प्रतिफल राशि का भुगतान का साधिकार केता एवं अधिकारी हैं. जिनका प्रश्नगत कृषि भूमि पर 1974 से निरन्तर चला आ रहा है इस प्रकार वादीगण का प्रतिकूल कब्जा हो चुका है. वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को कई बार कहा गया कि प्रश्नगत कृषि भूमि किलावाईज उनके नाम पर पंजीबद्व विक्रय विलेख के आधार पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज करवाकर पृथक लगान कायम करवावे किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 टालमटोल करते हुऐ दो रोज पूर्व साफ इन्कारी हो गया. यही वाद हेतुक वादीगण को उपलब्ध है जिसे लिये वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है. प्रश्नगत कृषि भूमि राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज होने का अनुचित लाभ उठा कर प्रतिवादी खुर्दबुर्द करना, अन्यत्र अन्तरित कर वादीगण को जबरदस्ती बेदखल करा चाहता है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है क्योंकि विबंधन का सिद्वान्त लागू होगा है क्योंकि प्रश्नगत कृषि भूमि का प्रतिफल प्राप्त कर विक्रय किया गया है. इसलिये वादीगण प्रश्नगत कृषि भूमि की खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी हैं. प्रतिवादी संख्या 1 ने गत सप्ताह वादीगण को बेदखल करने का प्रयास किया गया किन्तु सफल नहीं हो सका. दो रोज पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा एलानिया कथन किया गया कि वह जबरदस्ती बेदखल कर अन्यत्र विक्रय करेगा इस प्रकार वादीगण के पास माननीय न्यायालय की शरण के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह गया है. इस प्रकार वादीगण द्वारा चक 3 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 21 से 25 प्रत्येक 0.10 बीघा कुल 2.10 बीघा कृषि भूमि के केता एवं सन् 1974 से काबिज होने के परिणामताः राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित करवादीगण का नाम दर्ज करने, प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व, वादीगण के कब्जा काश्त, पानी की बारी के उपयोग एवं उपभोग में बाधा डालने, विधि विरूद्व वादीगण को बेदखल नही करने तथा अन्यत्र बंधक, विक्रय अथवा किसी भी प्रकार से अन्तरित नहीं करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में चक 3 बी बड़ी के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2059, पंजीबद्व विक्रय विलेख दिनांक 31 जनवरी, 1974 की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1 तत्पश्चात, प्रतिवादी संख्या 1.1 से 1.2, 2.1 से 2.3 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. प्रतिवादी संख्य 2 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से आवेदनपत्र दिनांक 1 अगस्त, 2006 अन्तर्गत आदेश 1 नियम 9 एवं 13 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार चक 3 बी बड़ी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 68/65 मुरब्बा नम्बर 16 की 2.972 हैक्टर एवं खाता संख्या 79/76 मुरब्बा नम्बर 7 की 3.161 हैकटर संयुक्त कृषि भूमि में से 1.534 हैक्टर भूमि श्रीमती प्यारोबाई धर्मपत्नी श्री दीवानसिंह, रायसिख के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है किन्तु वादपत्र में श्रीमती प्यारोबाई को पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि उसे पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है इसलिये पक्षकार के अभाव में वादपत्र पोषणीय नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है. इस प्रकार उक्त शीर्षक के वाद में श्रीमती प्यारोबाई को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण वादपत्र इसी स्तर पर निरस्त करने का निवेदन किया गया.

वादीगण की ओर से जवाब आवेदनपत्र दिनांक 6 सितम्बर, 2006 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार राजस्व अभिलेखों में प्रश्नगत कृषि भूमि दीवानसिंह के नाम पर दर्ज है तथा वादीगण द्वारा दीवानसिंह से ही कृषि भूमि क्रय की गयी है इसलिये दीवानसिंह को ही पक्षकार बनाया गया है इस प्रकार अन्य को पक्षकार बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है. इस प्रकार आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया.

आवेदनपत्र पर युक्तियुक्त विचाराणोपरान्त आदेश दिनांक 09 अक्तूबर, 2006 द्वारा आवेदनपत्र निरस्त किया गया.

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 10 अप्रेल, 2007 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण के समक्ष कभी भी मुरब्बा नम्बर 7 के 2.10 बीघा कृषि भूमि विक्रय करने का प्रस्ताव नहीं रखा ऐसी स्थिति में, वादीगण द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता. न ही वादीगण के साथ मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 21 से 25 प्रत्येक 0.10 बीघा कुल 2.10 बीघा कृषि भूमि का सौदा किया गया है व न ही तथाकथित सौदा की बाबत राशि 10,000.00 प्राप्त कर इकरारनामा ही निष्पादित किया गया है एवं न ही शेष 1,900 रूपये प्राप्त कर पंजीबद्व विक्रय विलेख दिनांक 31 जनवरी, 1974 निष्पादित किया गया है. न ही प्रश्नगत कृषि भूमि का कब्जा ही वादीगण को सौंपा गया है. प्रश्नगत कृषि भूमि पर आवंटित के समय ही कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 परिवार का चला आ रहा है. जब प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि को विक्रय ही नहीं किया गया तो किसी भी प्रकार की बदनीयती का कोई प्रश्न ही विद्यमान नहीं है न ही प्रतिवादी प्रश्नगत कृषि भूमि को अन्यत्र विक्रय करने में प्रयासरत है. इस प्रकार के तथ्य झूठे एवं काल्पनिक दर्ज किये गये हैं वादी द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि के क्रय बाबत एक परिवाद न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगगानगर के समक्ष अन्तर्गत धारा 420 भा.द.स. प्रस्तुत किया गया जो धारा 156(3) द.प्र.स. के अन्तर्गत पुलिस थाना, कोतवाली को अनुंधान हेतु भेजा गया जिस पर दीवानसिंह एवं मोहनलाल मण्डा, पटवारी के विरूद्व पुलिस थाना, कोतवाली द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा 417, 418, 419, 420, 166, 465, 468, 471, 120बी भा.द.संहिता में प्रथम सूचना

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

प्रतिवेदन संख्या 327दिनांक 1 अगस्त, 2006 दर्ज की गयी जिसमें अदम बकू अन्तिम प्रतिवेदन संख्या 132 दिनांक 31 अगस्त, 2006 मा. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है तथा वादी बागासिंह आत्मज सौदागरसिंह के विरूद्व धारा 182 भा.द. संहिता के अन्तर्गत परिवाद प्रस्तुत किया जा चुका है जिसमें दीवानसिंह सरपंच, हरनामसिंह, लालसिंह, राजकुमार वर्तमान हल्का पटवारी, कोठा पक्की, बृजमोहन भू.पू. हल्का पटवारी कोठापक्की, वर्तमान में पटवारी हल्का चक 6 एल. एन.पी. के बयान लेखबद्व किये गये जिसमें वर्तमान हल्का पटवारी एवं भू.पू. हल्का पटवारी द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि पर वादीगण का कभी कब्जा नहीं होने के कथन किये गये हैं. इस प्रकार उक्त कृषि भूमि पर आवंटन के समय से प्रतिवादी एवं उसके परिवार का कब्जा होने के बयान लेखबद्व किये गये हैं. वादीगण का क्रेता की हैसियत से कभी भी 1974 से प्रश्नगत कृषि भूमि पर कब्जा नहीं रहा है. ऐसी स्थिति में, वादीगण का प्रतिकूल कब्जा नहीं हो सकता. इस प्रकार के कथन वादकरण की उत्पत्ति हेतु झूठे दर्ज किये गये हैं. प्रतिवादी संख्या 1 प्रश्नगत कृषि भूमि का स्वामी है एवं कब्जा काश्त है, वादीगण का प्रश्नगत कृषि भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा ऐसी स्थिति में, विबन्धक का सिद्वान्त लागू नहीं होता है. वादीगण किसी भी दृष्टिकोण से राजस्व अभिलेखों में अपने नाम पर खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी नहीं है. अतरिक्त आपत्तियों में, अंकित किया गया कि चक 3 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 7 एवं 16 के 25.00 बीघा कृषि भूमि प्रतिवादी एवं उसकी पत्नी श्रीमती प्यारोबाई को पुर्नवास विभाग, भारत सरकार द्वारा आवंटित की गयी थी जिसकी सनद संख्या 170 दिनांक 5 मई, 2005 जारी की जा चुकी है. दोनों के नाम पर बहिस्सा बराबर बराबर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है. प्रश्नगत कृषि भूमि पर बागासिंह एवं प्रीतमसिंह का कभी कब्जा नहीं रहा है केवल प्रतिवादी संख्या 1 को तंग व परेशान करने की दृष्टि से वाद प्रस्तुत किया गया है. पुर्नवास विभाग द्वारा कब्जा की जांच करने के बाद ही सनद जारी की गयी है. वादी द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि के क्रय बाबत एक परिवाद न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगगानगर के समक्ष अन्तर्गत धारा 420 भा.द.स. प्रस्तुत किया गया जो धारा 156(3) द.प्र.स. के अन्तर्गत पुलिस थाना, कोतवाली को अनुंधान हेतु भेजा गया जिस पर दीवानसिंह एवं मोहनलाल मण्डा, पटवारी के विरूद्व पुलिस थाना, कोतवाली द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा 417, 418, 419, 420, 166, 465, 468, 471, 120बी भा.द.संहिता में प्रथम सूचना प्रतिवेदन संख्या 327दिनांक 1 अगस्त, 2006 दर्ज की गयी जिसमें अदम बकू अन्तिम प्रतिवेदन संख्या 132 दिनांक 31 अगस्त, 2006 मा. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है तथा वादी बागासिंह आत्मज सौदागरसिंह के विरूद्व धारा 182 भा.द.संहिता के अन्तर्गत परिवाद प्रस्तुत किया जा चुका है जिसमें दीवानसिंह सरपंच, हरनामसिंह, लालसिंह, राजकुमार वर्तमान हल्का पटवारी, कोठा पक्की, बृजमोहन भू.पू. हल्का पटवारी कोठापक्की, वर्तमान में पटवारी हल्का चक 6 एल. एन.पी. के बयान लेखबद्व किये गये जिसमें वर्तमान हल्का पटवारी एवं भू.पू. हल्का पटवारी द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि पर वादीगण का कभी कब्जा नहीं होने के कथन किये गये हैं. इस प्रकार

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

उक्त कृषि भूमि पर आवंटन के समय से प्रतिवादी एवं उसके परिवार का कब्जा होने के बयान लेखबद्व किये गये हैं. प्रश्नगत कृषि भूमि का कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 के पास है जिसकी पानी की पर्ची प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर जारी है, फसल का आबयाना भी प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अदा किया जा रहा है, सरपंच द्वारा भी दिनांक 14 अक्तूबर, 2006 को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर कब्जा प्रतिवेदन जारी किया गया है. प्रतिवादी को 1974 में पुर्नवास विभाग द्वारा भूमि आवंटित की गयी थी. जिसे गैरखातेदारी के रूप में वादी द्वारा विक्रय नहीं किया जा सकता एवं विक्रय विलेख फेग्मेन्ट होने से प्रारम्भ से ही शून्य तथा कब्जा काश्त के अभाव में विक्रय विलेख प्रतिवादी के अधिकारों पर निष्प्रभावी है. वादीगण बैयनामा दिनांक 31 जनवरी, 1974 के आधार पर 12 वर्षो की अवधि में ही कब्जा ले सकते थे इस प्रकार वादपत्र अवधि बाधित है तथा तथाकथित विक्रय विलेख, 1974 का बताया गया है उस समय सम्पत्ति भारत सरकार की सम्पत्ति थी, जिसकी सन्द जारी नही हुई थी इसलिय तथाकथित विक्रय विलेख अवैद्य एवं शून्य है. इस प्रकार, प्रश्नगत कृषि भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू ही नहीं होते. इस प्रकार वादपत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया. जवाब वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में ग्राम पंचायत, 4 बी बड़ी (पक्की) द्वारा जारी प्रतिवेदन दिनांक 14 अक्तूबर, 2006, मा. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत बयान श्री दिवानसिंह, श्री हरनामसिंह, श्री लालसिंह, श्री बृजमोहन, श्री राजकुमार की चित्रित प्रतियां प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 2 राज्यपक्ष की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 22 मई, 2012 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2059 चक 3 बी बड़ी के खाता संख्या 79 मुरब्बा नम्बर 7 का किला नम्बर 13 से 25 के 3.161 हैक्टर कृषि भूमि दीवानसिंह वल्द कर्मसिंह कौम रायसिख साकिन पक्की आवंटी गैर खातेदार दर्ज है. कृषि भूमि राष्ट्रपति भारत सरकार है नामान्तरकरण संख्या 308 दिनांक 9 मई, 2005 द्वारा कृषि भूमि खातेदारी दर्ज किया गया है बैयनामा गैरखातेदारी भूमि का हुआ है जो कि अवैद्य बेचान होने के कारण रकबा खारिज किये जाने योग्य है.

पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विवाद्यकों का निर्धारण किया गया –

1. क्या प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा चक 3 बी बड़ी तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 7 के 2.10 बीघा वादी को विक्रय कर पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 31 जनवरी, 1974 को निष्पादित किया गया है? .....वादीगण
2. क्या प्रश्नगत कृषि भूमि का कब्जा निरन्तर प्रतिवादीगण का चला आ रहा है? .....प्रतिवादीगण
3. अनुतोष ?

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादी की ओर से आवेदनपत्र दिनांक 09 जनवरी, 2015 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 दिवानसिंह की मृत्यु दिनांक 21 फरवरी, 2014 को होने के बाद उसके वारिसान कमशः श्रीमती प्यारोबाई धर्मपत्नी, श्रीमती नानकोबाई पुत्री(मृतक), राजरानी पुत्री, वजीरसिंह पुत्र, श्रीमती लालबाई पुत्री है जिनके अतिरिक्त कोई अन्य वारिस नहीं है. ऐसी स्थिति में, प्रतिवादी संख्या 1 दिवानसिंह के वारिसान को पत्रावली पर लिये जाने का निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में श्री दीवानसिंह का मृत्यु प्रमाणपत्र दिनांक 25 फरवरी, 2014 एवं ग्राम पंचायत, 4 बी बड़ी द्वारा जारी वारिस प्रमाणपत्र दिनांक 11 मई, 2014 की चित्रित प्रतियां सलंग्न प्रस्तुत की गयी. प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जवाब आवेदनपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिस पर युक्तियुक्त विचारणोपरान्त आदेश दिनांक 29 जून, 2015 द्वारा आवेदनपत्र स्वीकार किया जाकर मृतक दीवानसिंह के स्थान पर उनके वारिसान को प्रतिस्थापित किया गया. यथा संशोधित वाद शीर्षक प्रस्तुत किया गया.

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब वादपत्र में उनके उत्तराधिकारियों द्वारा कोई परिवर्तन नहीं चाहे जाने के परिणामतः निर्धारित विवाद्यकों में भी संशोधन अपेक्षित नहीं होने के परिदृश्य विवाद्यकों के विनिश्चिय हेतु साक्ष्य वादीगण हेतु श्री बागसिंह द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र एवं विकय विलेख दिनांक दिनांक 31 जनवरी, 1974 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी. किन्तु विभिन्न तिथियों पर साक्षी के उपस्थित नहीं आने तथा उपस्थित आने पर भी प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जिरह हेतु समय चाहे जाने पर आदेश दिनांक 14 मार्च, 2016 द्वारा राशि 200.00 कॉस्ट पर जिरह हेतु अन्तिम अवसर दिया गया. यथा जिरह की गयी. वादी अधिवक्ता द्वारा अन्य साक्ष्य वादी प्रस्तुत नही करने के परिणामतः आदेश दिनांक 13 जून, 2016 को साक्ष्य वादी पूर्ण की गयी. साक्ष्य प्रतिवादी हेतु निरन्तर समय चाहे जाने के बाद आदेश दिनांक 15 सितम्बर, 2016 द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी हेतु अन्तिम अवसर दिया गया, तदोपरान्त, साक्ष्य प्रतिवादी हेतु श्रीमती प्यारोबाई एव श्री वजीसिंह द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किये गये.श्री वजीसिंह से जिरह की गयी किन्तु श्रीमती प्यारोबाई के विभिन्न तिथियों पर जिरह हेतु उपस्थित नहीं आने के कारण आदेश दिनांक 30 नवम्बर, 2016 द्वारा साक्षी प्रतिवादी की उपस्थिति एवं जिरह हेतु अन्तिम अवसर दिया गया. जिस पर भी साक्षी के उपस्थित नहीं आने के परिणामतः आदेश दिनांक 11 जनवरी, 2017 द्वारा साक्षी प्रतिवादी की जिरह बन्द की गयी. अभिलेख चक 3 बी बड़ी के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2059(प्रदर्श–1), विकय विलेख दिनांक दिनांक 31 जनवरी, 1974 की प्रमाणित प्रतिलिपि(प्रदर्श–2) प्रदर्श करवाये गये.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुये प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया. तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत कमशः

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

2017(2) RRT 991 Sibburam & ors. vs. Smt. Basanti & ors.
2016 DNJ (Rev) 307 Dropadi & ors. vs. Brij Kishore & Anrs.
2015 DNJ (Rev) 111 Heera Mali vs. Mangilal & Anr.
2005 RRD 500 State of Rajasthan vs. Sardara & Ors.
का ससम्मान अवलोकन किया गया.

विवाद्यक संख्या 1 – क्या प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा चक 3 बी बड़ी तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 7 के 2.10 बीघा वादी को विक्रय कर पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 31 जनवरी, 1974 को निष्पादित किया गया है? .....वादीगण

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब वादपत्र में अंकित किया गया है कि वादीगण के साथ मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 21 से 25 प्रत्येक 0.10 बीघा कुल 2.10 बीघा कृषि भूमि का वादीगण के साथ न तो सौदा कर इकरारनामा एवं तथाकथित शेष राशि प्राप्त कर विक्रय विलेख दिनांक 31 जनवरी, 1974 ही निष्पादित किया गया है. जिसके विरोध में वादीगण द्वारा विक्रय विलेख दिनांक 31 जनवरी, 1974 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है किन्तु विक्रय विलेख दिनांक 31 जनवरी, 1974 की पुष्टि के लिये विक्रय विलेख दिनांक 31 जनवरी, 1974 में अंकित साक्षीगण सर्वश्री सोहनसिंह एवं श्री दियालसिंह को बतौर साक्षी प्रस्तुत नही किया गया. सन् 1974 में प्रश्नगत कृषि भूमि पुर्नवास विभाग, भारत सरकार द्वारा आवंटित होने के कारण राजस्व अभिलेखो में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर गैर खातेदारी दर्ज थी. जबकि विधि द्वारा स्थापित सिद्वान्तों के अनुसार गैर खातेदारी अधिकार हस्तान्तरणीय नहीं है. इसलिये न्यायिक दृष्टिांत 2017(2) RRT 991 Sibburam & ors. vs. Smt. Basanti & ors. में प्रतिपादित सिद्वान्त Under this Act only transfer of Khatedari right is permissible, gair khatedari rights are not transferable under the framework of the Rajasthan Tenancy Act, 1955, such transaction made against Law is Void-ab-initio and not voidable. इसी प्रकार न्यायिक दृष्टांत 2005 RRD 500 State of Rajasthan vs. Sardara & Ors. मे भी प्रतिपादित सिद्वान्तों के परिदृश्य सन् 1974 में तथाथित विक्रय विलेख की तिथि को प्रतिवादी संख्या 1 हैसियत गैर खातेदार थी तथा प्रश्नगत कृषि भूमि को प्रतिवादी द्वारा किसी भी दृष्टिकोण से विकय/अन्तरण नहीं किया जा सकता था. इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 को गैर खातेदारी की हैसियत से जहां प्रश्नगत कृषि भूमि को अन्तरित करने के अधिकार ही नहीं थे, वहीं, वादीगण द्वारा विकय विलेख दिनांक 31 जनवरी, 1974 में अंकित साक्षीगण सर्वश्री सोहनसिंह एवं श्री दियालसिंह को बतौर साक्षी प्रस्तुत नही किया गया. ऐसी परिस्थति में, जहां विक्रय विलेख प्रथमताः पुष्ट नहीं होता, वहीं प्रतिवादीगण की तत्समय गैर खातेदारी की हैसियत से प्रदर्शित अन्तरण विधि विरूद्व होने के कारण विवाद्यक संख्या 1 वादीगण के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 2 – क्या प्रश्नगत कृषि भूमि का कब्जा निरन्तर प्रतिवादीगण का चला आ रहा है? .....प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक अधिनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

जहां वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में प्रश्नगत कयाधीन कृषि भूमि पर 1974 से कब्जा होने के तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, वहीं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि का कब्जा निरन्तर उसके एवं उसके परिवार के पास होने के तथ्य अंकित किये गये हैं. किन्तु वादीगण द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि पर कब्जा होने की बाबत किसी भी प्रकार का अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया. इसके विपरीत, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत, 4 बी बड़ी (पक्की) द्वारा जारी प्रतिवेदन दिनांक 14 अक्तूबर, 2006, मा. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत बयान श्री दिवानसिंह, श्री हरनामसिंह, श्री लालसिंह, श्री बृजमोहन, श्री राजकुमार की चित्रित प्रतियों से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि जब से प्रतिवादी संख्या 1 को प्रश्नगत भूमि आवंटित की गयी है तभी से ही प्रश्नगत कृषि भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 एव उसके परिवार का अनवरत कब्जा रहा है. ऐसी स्थिति में, विवाद्यक संख्या 2 प्रतिवादीगण के पक्ष में एवं वादी के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यकों की विवेचना के अनुसार विक्रय विलेख दिनांक 31 जनवरी, 1974 की पुष्टि के लिये विक्रय विलेख दिनांक 31 जनवरी, 1974 में अंकित साक्षीगण सर्वश्री सोहनसिंह एवं श्री दियालसिंह को बतौर साक्षी प्रस्तुत नही किया गया. यदि पुष्ट किया भी जाता तो 1974 में प्रश्नगत कृषि भूमि प्रतिवादीगण की गैर खातेदारी कृषि भूमि थी तथा गैर खातेदारी कृषि भूमि न्यायिक दृष्टिकोण से अहस्तांतरणीय होने के परिणामतः विक्रय विलेख दिनांक 31 जनवरी, 1974 प्रथम दृष्टया ही Void-ab-initio and not voidable होने के कारण प्रतिवादी के अधिकारों पर निष्प्रभावी हो जाता है. इसके अतिरिक्त, प्रश्नगत कृषि भूमि पर निरन्तर प्रतिवादी संख्या 1 एव उसके परिवार का कब्जा सिद्व होने के परिदृश्य वादीगण किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है.

।। आदेश ।।

अतः वादपत्र निरस्त किया जाता है. वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे. यथा डिक्री जारी हो.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय कैम्प – ग्राम 27 जी.जी. में आज दिनांक 22 जून, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(श्रीमती रीना छीम्पा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यालय कैम्प ग्राम 27 जी.जी.
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

डिक्री

(order 20 rule 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती रीना छीम्पा, R.A.S.

1. बागासिंह आत्मज श्री सौदागरसिंह, रायसिख, चक 3 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. प्रीतमसिंह आत्मज श्री दयालसिंह, रायसिख, पक्की तहसील व जिला श्रीगंगानगर.

..वादीगण

बनाम

1दीवानसिंह आत्मज श्री कर्मसिंह, रायसिख, पक्की तहसील व जिला श्रीगंगानगर.
- 1.1. श्रीमती प्यारोबाई धर्मपत्नी स्व. श्री दीवानसिंह,
- 1.2. श्रीमती नानकी,
- 1.3. श्रीमती राजरानी,
- 1.4. वजीरसिंह,
- 1.5. श्रीमती लालीबाई आत्मजन स्व. श्री दीवानसिंह, रायसिख, चक 3 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर.

2. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.

..प्रतिवादीगण

वादपत्र संख्या 92/2012
अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बत्तरा, श्री सुशील बिश्नोई प्रतिवादी संख्या 1.1 से 1.5 एवं पैरोकार राज (प्रतिवादी–2) की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

अतः वादपत्र निरस्त किया जाता है.

वाद व्यय शून्य वास्ते....शून्य.....खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज...शून्य... ....दर वार्षिक ...शून्य.....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 22 जून, 2018 को जारी की गयी.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	00.00	कुल	00.00

9 सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर